कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–मेट्रिक्स लेवल 16/(पी बी–3), 15600–39100 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2012–13 से 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (रिव्यू डीपीसी) की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमॉकः– शिविरा–माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग–2/प्रधानाचार्य/रिव्यू डीपीसी/2012–13 से 2019–20 (चयन) दिनॉक 11.07.2022 के द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	डीपीसी0 चयन वर्ष	नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	1025/2013-14	2017-18	बनवारी लाल जीनगर	05-06-1973	APO @ Office of CBEO-MandalGarh	Bhilwara	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALDARKHA (222680), MANDALGARH Bhilwara

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांकः– **15-11-2022** तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–2/रिव्यू डीपीसी/12–13 से 19–20/पदस्थापन/22 दिनॉकः– 29-10-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव–शिक्षा,(प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रांरभिक एवं माध्यमि शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
04 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रांरभिक एवं माध्यमि शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
05. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
06 वरिष्ट तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. शिक्षा, संकुल जयपुर।
07. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) समस्त संभाग मुख्यालय।
08 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
09. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त।
10. संबधित व्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित संस्था प्रधान।
11. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
12. सहायक निदेशक डीपीसी एवं वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच।
13. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),

Created By: Sign Doc